

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर मार्ग, राजस्थान प्रौद्योगिकी शिक्षण, सिविल सर्विस बिल्डिंग के पास, जयपुर

क्रमांक: 7584

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
आरव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुरा रो
ड, तांकरदा, गोविंदगढ़, चोमू, जयपुर, 303702,
SBHAWARIA@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	01
2022-23	84

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

RajKaj Ref.

5156439



Digitally signed by अतिरिक्त प्राचार्य Naga (छात्रवृत्ति छात्रावास) Designation : Additional Director Date: 2023.12.10 4:12:53 IST Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7585

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

अग्रसेन प्रा. आईटीआई, हिंडौन

सिट

सी, 113, करौली, हिंडौन, करौली, 322230, A

GRESANITI@RAJASTHAN.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	01
2022-23	25

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मूलतः उक्त विद्यार्थियों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

(छात्रवृत्ति एवं निवास)

Digitally signed by Prashad Shai Naga

Designation: Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल स्टीडिन्स एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7586

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
आकाश निजी औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, सामोद रोड, बाइपास बिज के
पास, वाई नंबर 33, चोमू, जयपुर,
303702, AKASHITICHOMU@RAJASTHA
N.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये हैं। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता विवरण अंकित करना पाया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	0
2022-23	22

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार कर्मों में आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति विभाग, जयपुर)

Digitally signed by Pramod Shai
Naga
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7587

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

बी.आर.पी.वी.टी. आईटीआई रींगस टीएच श्रीमाधोपुर

सीकर, ,कहाडू श्याम जी रोड रींगस सीकर, ,खाडू

श्याम जी रोड रींगस, ,रींगस, . . ,श्रीमाधोपुर, ,सीकर,

,332404, ,BRITI478@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	01
2022-23	127

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार कहीं न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेश
Digitally signed by Shai Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल राजोडे-सी एरिया, सिविल लाइन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7588

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
बाबा रामदेव प्राइवेट आईटीआई कॉलेज, कालवार
रोड,
,आईओबी

क, जयपुर, , , आमेर, जयपुर, ,303706, ,J.PO
ONIA990@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	12
2022-23	229

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्या न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Prasad Shai Naga
अतिरिक्त निष्कर्ष
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7589

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी
बालाजी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कलवार
रोड, मेडिकल सेंटर,
झोटवाड़

जयपुर, जयपुर, 302012, KKGADWAL
10@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	77
2022-23	236

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यो न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Prasad Shai
Naga
Designation: Assistant Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7590

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

भगत सिंह प्रा. आई.टी.आई

सिकरा

य, सिकराय, सिकराय, सिकराय, सिकराय, सिकरा

य, दौसा, 303508, PVT_ITI_P539@YAHOO.I

N

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	0
2022-23	15

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2016 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Pragad Shai Naga
Designation: Assistant Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7591

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर, सीकर रोड, सामने

डीडब्ल्यूपीएस स्कूल, अजमेर, अजमेर, अजमेर,

305023, JAINNIKHIL2810@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	28
2022-23	10

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार कभी न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

अद्वितीय निदेशक
Digitally signed by Pramad Shai Naga

Digitally signed by Pramad Shai Naga
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जो 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7592

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
भैरव प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, 01, सामोद रोड धवली, सामोद रोड
धवल

ी, धौली, शाहपुरा, जयपुर, 303806, RAJ.DHA

OLI@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	06
2022-23	76

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Pragad Shai
8155435

Digitally signed by Pragad Shai
Naga
Designation: Assistant Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7593

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

बियानी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कलवार

रोड, ओपीपी। पार्थ सिटी, 177/1/2, 177/2, चंपापुरा,

, जयपुर, जयपुर, 303706, BIYANIPVTITI@GM

AIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	34
2022-23	14

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

छात्रवृत्ति एवं छात्रावास

Digitally signed by Pramod Shai Naga

Designation : Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7594

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी

सिटी प्राइवेट आईटीआई, गोकुलपुरा सीकर, सावली

रो

ड, , गोकुलपुरा, गोकुलपुरा, सीकर, सीकर, 332

021, ,BALVEERPRAJAPAT418@GMAIL.CO

M

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	93

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सायं 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
Naga

Designation : Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7595

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी

देव प्राइवेट आईटीआई, तिगरिया रोड

चाक

सू. चाकसू. , जयपुर, जयपुर, 303901, DEV

PVTITI@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर, विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	12

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को साय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

Digitally signed by Pramod Shai Naga

Designation : Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7596

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
गुरुकुल पॉलिटेक्निक कॉलेज चौमू, खादी बाग
रोड,
बाग, चौमू, टंकरदा, चौमू, जयपुर, 303702,
GURUKULCHOMU@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	26

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Pramad Shai
Naga
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 2537

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
हाइवैती प्राइवेट आईटीआई, रावतभाटा रोड, सुधा
कॉलेज ऑफ नर्सिंग के पास, लाडपुरा, दौलतगंज @
नया
गां
व, लाडपुरा, कोटा, 324010, HITCKOTA@RAJ
ASTHAN.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	06
2022-23	22

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटि न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shai
Nagaतिरिक्त देश
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 4:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जो 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 2598

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

जय मिनेश प्राइवेट आईटीआई, श्यामपुरा

कलां, श्यामपुरा कलां, श्यामपुरा कलां, श्यामपुरा

कलां

ला, लालसोट, दौसा, 303510, RAMKRISHANS

AVS@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	17
2022-23	00

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार त्रयों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
नाम
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7599

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

जया निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेनार रोड,

पुलिस चौकी, सरना डूंगर, सरना डूंगर, जयपुर,

जयपुर,

302012,

JAYAITIJAIPURP1517@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	83
2022-23	140

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

Digitally signed by Prashad Shai

Naga

Designation: Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7600

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
जेडी प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, ,मोजमाबाद, ,अजमेर रोड,

दू
दू, सावरदा, ,मौजमाबाद, ,जयपुर, ,303348, JDP

VTITIP0822@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	15
2022-23	01

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
नाम
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7601

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रमारी
जेईसीआरसी

विश्वविद्यालय,

जयपुर, रामचंद्रपुरा, महात्मा गांधी अस्पताल के
पास, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, विधानी
गांव, सांगानेर, जयपुर, 303905,

NK.GUPTA@JECRCU.EDU.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी
कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष
2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर
विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई
है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के
विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है।
जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	10

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने
से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल
छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत
किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति
पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी
दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे
तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा
आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
छात्रवृत्ति एवं छात्रा
Digitally signed by Pramod Shai
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

RajG-Ref
5156439

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7602

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
केजीआर निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बसाना
रोड पर, सरकार गर्ल्स स्कूल के पास, गांव भानपुर
कला, वाया कूकस, भानपुर कला, जामवा
रामग

ई, जयपुर, 302038, KGRPVTITI@GMAIL.C

OM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपत्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे, जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथ्य आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	02
2022-23	24

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपत्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shai
Nag, अतिरिक्त निदेश
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 4:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7603

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
लक्ष्मण आई.टी.आई. कॉलेज गंगापुर सिटी, , मालियों
की टाणी के पास, जयपुर बाई पास, गंगापुर
सिटी, , , जयपुर बाई पास, उदई कला
(ग्रामीण), , गंगापुर, , सवाई
माधोपु

र. ,322206, ,LAXMANITIGANGAPUR@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	02
2022-23	64

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार स्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर आपकी प्रतिक्रिया प्रेषित करनी चाहिए।

संलग्न उपरोक्तानुसार

RajKaj Ref
5103439

Digitally signed by Pramad Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Rajasthan (अत्रवृत्ति एवं अभाव)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7604

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रमारी
लक्ष्मण निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पी एस
बोली, बीएसएनएल एक्सचेंज के पास,
बोली, 322023, बोली, किला
बोली, बोली, सवाई
माधोपु

र, 322023, GAFFARKHANGGC@GMAIL.C

OM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जागरूकी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपको संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	05
2022-23	93

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति भॉटल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर आपका उत्तर देना आवश्यक है अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Ref No/Ref
3150439

Signature valid

Digitally signed by Pramad Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Rajasthan (अभिवृत्ति एवं अधिवास)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 2605

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

लक्ष्मी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर, लक्ष्मी नगर, . . .

,विले बिदरा, शाहपुरा, बिदारा

(

ग्रामीण), शाहपुरा, जयपुर, 303103, SUMITBU

DANIA@YAHOO.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	03
2022-23	25

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 8 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
Naga
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7606

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
महर्षि अंगिरा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, नांगल राजावतान, नांगल
राजावतान, नांगल राजावतान, नांगल
राजावतान, दौसा,
303505, DINESHBARWALNANGAL@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	61
2022-23	30

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार कृपया न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

RajKaj Ref
5336439

Digitally signed by Pramad Shai
Nagar (राजस्थान) देश
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रजिडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7607

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

नव प्रतीक प्रा. आईटीआई, चाकसू, सूरज कुंड रोड,

नगर पालिका के पीछे, वाई नंबर-19,

गिरधारीलालपुरा, चाकसू, जयपुर, 303901,

LALAWAT.RAKESH99@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	18
2022-23	78

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है; जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)
Digitally signed by Pramad Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर मवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7608

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

न्यू मां भगवती प्राइवेट आईटीआई, 01, जयपुर रोड

दौसा, अयोध्या नगर

दौसा

ा, दौसा(ग्रामीण), दौसा, दौसा, 303303, N966

0081316@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	48
2022-23	19

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
छात्रवृत्ति एवं छात्रा
Digitally signed by Pramod Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

RajKoj Ref
5186439

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7609

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
न्यू श्री बालाजी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, कलवार रोड, मेडिकल सेंटर,
झोटवाड़

जयपुर, जयपुर, 302012, NSBPITIP37
6@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	13
2022-23	216

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है। जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Rb/Kaj/Ref
5716439

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramad Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7610

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

निर्वाण यूनिवर्सिटी, एनएच 21, राजधानी टोल

टैक

स, झार, झार, बस्ती, जयपुर, 303305, USHA

.NIRWANUNIVERSITY@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रप्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	237
2022-23	732

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रप्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Pralhad Shai Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, आम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7611

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

प्रतीक प्रा. आईटीआई, चाकसू, सूरज कुंड रोड, नगर

पालिका के पीछे, वार्ड नंबर-19, गिरधारीलालपुरा,

चाकसू,

जयपुर,

306901,

JANUYUDHVEER@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	02
2022-23	246

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

Digitally signed by Pramod Shai Naga

Designation : Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल, रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7612

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
क्वालिटी प्राइवेट आईटीआई सीकर, जयपुर
रो

ड. . ., सीकर, . . ., सीकर, . सीकर, .332001, .QUA
LITYITISIKAR@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	111

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Prasad Shai Naga
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रोजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7613

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी
राधा माधव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बस
स्टैंड नायन, बस स्टैंड के पास नायन, वाया-
अमरसर, कलवानियों का
बा
स, शाहपुरा, जयपुर, 303601, MNPSNAYAN
@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	30

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Rajku Ref
1166439

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shai
Nagarkotri, Rajasthan
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल, रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7614

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
रघुकुल प्राइवेट आईटीआई, सरकारी अस्पताल के
पीछे, रत्नावता रोड, जिला। दौसा, सरकारी अस्पताल
के पीछे, रत्नावता रोड, जिला।
दौसा

ा, दौसा, दौसा, , , दौसा, दौसा, ,303303, ,PV

T.ITI.P825@RAJASTHAN.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	15
2022-23	00

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदने पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से नए विद्यार्थियों के संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

RajKmj Ref
5156439

Signature valid

Digitally signed by Pralhad Shai
Nagari, Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 2615

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
राजस्थान निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जीडी
रोड, , जामवा रामगढ़, जामवा रामगढ़
(सीटी), जामवा
रामग
द, जयपुर, 302009, RAJASTHANPVTTI201
4@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संयोजित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	06
2022-23	25

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है। जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Prasad Shai
Nag
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7616

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रभारी
रीजनल कॉलेज फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड
टेक्नोलॉजी, जयपुर, आईएसआई-17, रीको
इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, एमजीएच हॉस्पिटल
के पीछे, सीतापुरा, सांगानेर, जयपुर, 302022,
REGIONAL26@RAJASTHAN.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी
कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष
2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर
विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई
है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के
विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है।
जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	11
2022-23	01

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने
से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल
छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत
किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति
पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी
दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे
तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा
आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Brahm Shai
नाम
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7617

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी

रुकमणी देवी प्राइवेट आईटीआई, सूतपुरा

रो

ड, , सांगानेर, कलवाड़ा, सांगानेर, जयपुर, 303

303, RUKAMANIDEVIITI@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	16
2022-23	25

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदने पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

Signature valid

Digitally signed by Pramad Shai Naga
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक. 7618

दिनांक. 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी
एसपीडीएम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, नांगल पुलिया, नांगल पुलिया, नांगल
जैसा बोहरा

झोटवाड़

ा, , , जयपुर, जयपुर, 302012, SPDMITI@R
AJASTHAN.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	06
2022-23	88

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है। जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Rajstha Ref
5133439

Signature valid

Digitally signed by Pramad Shai
Nagar, Rajasthan
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7619

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रमारी

सागर प्रा. आईटीआई, जयपुर रोड, मेहनत नगर

जयपुर

रोड, किशनगढ़, , किशनगढ़, अजमेर, 305801,

,MAHEN.ABHI@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	70

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

Digitally signed by Prasad Shai Naga

Designation: Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7620

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

शिवलोक प्रा. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

रूडल, वीपीओ-रूडल, वीपीओ-

रूड

ल, रूडल, आमेर, जयपुर, 303805, SHIVLOK.

P0849@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	22
2022-23	00

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
नायक
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

RajKey Ref
5136439

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7621

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रमारी
श्री राम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, चित्रगुप्त
कॉलोन
ी, , , दौसा, दौसा(ग्रामीण), दौसा, दौसा, 30330
3,

SHREERAMITIKUCHAMANCITY@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	29
2022-23	11

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

RajKaj Ref
3156#39

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shai
Nag अतिरिक्त निदेश
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: न 622

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

श्री अशसेन प्राइवेट आईटीआई हिंडौन सिटी, न्यू

ब्रह्मपुरी कॉलोनी, हिंडौन सिटी, मंडावरा फाटक,

हिंडौन, करौली, 322230,

RAKESHSHARMA26943@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	16

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shai Naga
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7623

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

श्री गणेश प्रा. आई.टी.आई., लालचंदपुरा रोड, निवारु,

, झोटवाड़ा, , जयपुर, जयपुर, 302012, P1144

SGITI@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी करायें जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	23
2022-23	20

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shai Naga

Designation: Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7624

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी

श्री कृष्णा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कालू

का बास रोड तिगरिया, , कालू का बास ,तिगरिया,

,तिगरिया, ,चोमू, ,जयपुर, ,303804, ,DHARMPAL

BICHWALIA@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	01
2022-23	109

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shai Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर नवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक:

7625

दिनांक:

10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रमारी

श्री मोहन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान, पुलिस, लाइन, दौसा, . . , दौसा, . . , दौसा,

दौसा 303303 PVT ITI P737@YAHOO.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	52
2022-23	54

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांघ 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shai Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

Banking Ref:
5156439

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7626

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

श्री श्याम निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, श्याम
नगर, गाम

उदयपुरिय

ा, उदयपुरिया, चोमू, जयपुर, 303807, GIRIJA

SAINIBHOORTHAL@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	04
2022-23	21

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार त्रयों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

RajKaj Ref
5156439

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
नायब प्रमुख एवं छात्रवृत्ति

Designation: Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7627

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रभारी

श्री विनायक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान, गुलाना

रो

ड, बांदीकुई, बांदीकुई, गुलाना, बसवा, दासा, 303

327, SVITIP593@RAJASTHAN.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	11
2022-23	01

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार कथों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांघे 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

RajKaf Ret
5156439

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramad Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेवे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7628

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी चिड़ावा रोड
पिलानी, पिलानी, पिलानी चिड़ावा रोड, ब्राह्मणों की
ढाण

ी, सूरजगढ़, झुंझुनू, 333031, NODALOFFICE
RSHRIDHAR@RAJASTHAN.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी
कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष
2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा
वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर
विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई
है।

विभाग को जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के
विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है।
जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	222
2022-23	89

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने
से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल
छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत
किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिसे आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति
पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी
दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे
तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा
आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
छात्रवृत्ति एवं छात्रवृत्ति
Digitally signed by Pramod Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7629

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
श्याम विश्वविद्यालय, लालसोद, जिला
दौसा, रामगढ़ पचवाड़ा, राजस्थान-
303511, देहलाल, रामगढ़
पचवाड़ा
दौसा, 303511, YORAJRING1@GMAIL.C
OM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	42
2022-23	08

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

RajKaj Ref
5156439

42

08

Signature valid

Digitally signed by Pralhad Shai
Nagar, Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल, रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रोड, क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 2630

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
सिंधानिया यूनिवर्सिटी, झुंझुनू, पचेरी बाड़ी, , , बारी,
पचेरी

कल

ां, बुहाना, झुंझुनू, 333515, सिंधानियायूनिवर्सिटी

जयपुर 1@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	61
2022-23	127

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7631

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

सौरभ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा

रोड, गोवर्धन मंदिर के सामने, गांव-

खेड़ल

डी, सूरजपुरा, दौसा, दौसा, 303303, DHARMEN

DRAKSHARMA2011@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग को जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	20
2022-23	17

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष की हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांघ 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

आवेदन
RajKaf Ref
9956439

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
Naya

Designation : Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7632

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

सनराइज मून आईटीआई कानोता जयपुर, कानोता के

पास, आगरा रोड, जयपुर, , बस्ती, कानोता

(

सीटी), बस्ती, जयपुर, 303012, ITISUNRISEM

OON@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग को जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	93
2022-23	54

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
नाम
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7633

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

सनराइज निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर,

, बस्सी, तुंगा, जयपुर, तुंगा, बस्सी, जयपुर, 3033

02, NAHARSINGHLANKA@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैंक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	214
2022-23	86

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक

(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shal

Naga

Designation: Additional Director

Date: 2023.12.10 14:12:53 IST

Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7634

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

सनराइज यूनिवर्सिटी, अलवर, राजस्थान, बागड़

राजपूत, स्वामी विवेकानन्द मॉडल सरकार, उच्च

विद्यालय, बागड़ राजपूत, बागड़

राजपूत, रामगढ़, अलवर,

301026, RAKBRIJ2001@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	44
2022-23	650

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण चैनल चाहते हैं तो दिनोंक 13.12.2023 को सांघ 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
5456439

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7635

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी

यूनीवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सेक्टर 3, वरुण

पथ,

मानसरोवर

र, वाटिका, सांगानेर, जयपुर, 303905, UOTM

GMT@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग को जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	08
2022-23	26

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिचलित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sie@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7636

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/ संस्था प्रभारी
वैदिक गुरुकुल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान,
जयपुर, रोहिणी-I से पहले, राज विद्या
केंद्र,
सांगानेर-रेनवाल
रो

ड. . . सांगानेर, जयपुर, 302011, YSUNIL030
2@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	68
2022-23	00

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

File/Kaj Ref
5456239

Signature valid

Digitally signed by Pramod Shai
Nagar, Additional Director
Date: 2023.12.10 4:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7637

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी
विजय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
राडावा

स, शाहपुरा, शाहपुरा, जयपुर, राडावास, शाहपुरा,
जयपुर, 303601, PITIVIJAY@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग को जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	37

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Digitally signed by Prasad Shai Naga
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 2638

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी
विपुल निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चावंड का
मांड, साईपुरा बस स्टैंड, साईपुरा वाया सी.आर.पी.एफ
लालावास तह: जामवा रामगढ़ जिला;
जयपुर

र, ,टूंगा, बस्सी, जयपुर, 302027, JAGDAMBA
969464@GMAIL.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग को जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	01
2022-23	20

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sie@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Raj-Raj Ref
5156439

Digitally signed by Pramod Shai
Nagar
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7639

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/ अधीक्षक/संस्था प्रभारी

विवेकानन्द निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 15,

,पंचायत समिति, विवेकानन्द

कॉलोन

वी, बडोली, दौसा, दौसा, 303303, ARVINDJA

M151278@RAJASTHAN.IN

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग के जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	01
2022-23	12

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांय 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

Res/Ka/Ret:
5166439
12

अतिरिक्त निदेशक
Digitally signed by Pramod Shai
Naga
Designation : Additional Director
Date: 2023.12.10 4:12:53 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक: 7640

दिनांक: 10/12/23

प्राचार्य/अधीक्षक/संस्था प्रभारी
याज्ञवल्क्य प्रौद्योगिकी संस्थान, रीको औद्योगिक
क्षेत्र, टॉक रोड सीतापुरा, ओपीपी। चोखी
टाण
ी, . . ,सांगानेर, ,जयपुर, ,302022, ,LNBALA@
YAHOO.COM

विषय :- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमित/अपात्र आवेदन कर छात्रवृत्ति जारी कराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आपकी शिक्षण संस्थान में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/इत्यादि विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित कर विभाग को अग्रेषित किये गये थे। जिनके आधार पर विद्यार्थियों को विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

विभाग को जानकारी में आने पर तथा आवेदनों का गहन परीक्षण किये जाने पर आपकी संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा एक ही बैक खाता एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों में अंकित करना पाया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	आवेदनों की संख्या
2021-22	00
2022-23	16

आपकी संस्थान द्वारा अनियमित/अपात्र आवेदन पत्रों का सत्यापन कर विभाग को अग्रेषित करने से परिलक्षित होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य उद्देश्यपूर्ण रूप से किया गया है। सम्भवतः केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर इन विद्यार्थियों को संस्थान में पंजीकृत किया गया है अथवा उक्त विद्यार्थी आपकी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं।

आपके उक्त कृत्य से राजकोष को हानि हुई है, जिस आधार पर आपकी संस्थान को छात्रवृत्ति पोर्टल पर होल्ड कर दिया है। विभाग द्वारा जारी पैपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2015 के प्रावधानों के अनुसार क्यों न आपकी संस्थान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जावे।

इस सम्बन्ध में यदि आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो दिनांक 13.12.2023 को सांघ 6 बजे तक विभागीय ईमेल scholarship.sje@rajasthan.gov.in पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें अन्यथा आगामी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार

Signature valid

अतिरिक्त निदेशक
छात्रवृत्ति एवं छात्रा
Digitally signed by Prasad Shal
Naga
Designation: Additional Director
Date: 2023.12.10 14:12:53 IST
Reason: Approved